न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

(8)

राजस्व वाद सख्या 59/2009

1. श्री महावीर पुत्र श्री मदनलाल जाति शर्मा उम्र बालिग निवासी ग्राम बाडी ग्राम पंचायत बरल –।। तहसील मसूदा (मृतक) वादी के स्थान पर कायम वादीगण ।
   (1–अ) श्रीमति कंकू देवी बेवा महावीर उम्र 40 वर्ष जाति शर्मा
   (1–ब) श्री राजकुमार पुत्र स्व0 महावीर उम्र 20 वर्ष जाति शर्मा
   (1–स) सुश्री सोनु पुत्री स्व0 महावीर उम्र 16 वर्ष जाति शर्मा नाबालिग
   (1–द) सुश्री आरती पुत्री स्व0 महावीर उम्र 14 वर्ष जाति शर्मा नाबालिग
   (1–य) श्री सुनिलकुमार पुत्र स्व0 महावीर उम्र 06 वर्ष जाति शर्मा नाबालिग
   बविलयत संरक्षक माता श्रीमती कंकू देवी निवासीयान ग्राम बाडी ग्राम पंचायत बरल –।। तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.)
2. श्रीमती विमला बैवा मदनलाल जाति शर्मा उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बाडी ग्राम पंचायत बरल –।। तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये श्री जिलाधीश महोदय, अजमेर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार महोदय तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक..15.09.2016

वादीगण ने इस वाद में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 433 के कुल रकबे में से 05 बीघा भूमि वादी 1 के पिता तथा वादिया 2 के पति को सन् 1972 में अन्य काश्ताकारान के साथ आवंटित की गई थी । बरोज आवंटन से वादीगण के पिता/पति स्व0 मदनलाल वल्द राम प्रताप शर्मा इस पर काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु 1995 में होने के बाद से वादीगण काबिज काश्त चले आते है । लेकिन सेटलमेंट के बाद कायम हुई वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में इसे सरकारी खाते लगा दिया गया है । स्व0 मदनलाल जी एवं वादीगण खुलेआम सबकी जानकारी में इस पर काश्त करते चले आ रहे है । वादीगण इसमें खातेदारी पाने के अधिकारी है । अतः वादीगण को विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादीगण ने कथन किये है कि बाडी के आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति आवंटन कमेटी के कार्यवाही रजिस्टर की प्रति तथा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के अमल दरामद के आदेश के अभाव में आवंटन होना स्वीकार नहीं है । विवादित आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिसकी भू प्रबंध विभाग की

(9)

प्रति पेश की है जो संदिग्ध है । विवादित आराजी पैराफैरी क्षेत्र में स्थित है ऐसी स्थिति में वादी का विवादित कब्जा अवैध है वादी खारिज किया जावे ।

प्रतिवाद पत्र प्राप्ति पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादीगण मौजा बाडी के हाल खसरा संख्या 433 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी 3 की भूमि का वर्ष 1972 में अपने पिता/पति के नाम आवंटन होने व सेटलमेंट जमाबंदी में पिता के नाम के इन्द्राज व कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी पाने का अधिकारी है ?
2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?
   ..... वादीगण
3. आया प्रतिवादी संख्या 02 अपने प्रतिवाद पत्र में अंकित कारणों से वाद खारिज कराने का अधिकारी है ?
4. अनुतोष ?

तनकियात कायम कर शहादत पक्षकारान तलब की गई तनकी 1 व 2 का भार वादीगण पर रहा है और उन्होने इसे सिद्ध करने के लिए स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया है जिसमें भू0 प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी के खाता संख्या 1 में 1972 में मदनलाल को उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा आवंटन किया जाना अंकित है की प्रमाणित पेश कर इस पर प्रदर्श 1 लगवाया है । जिस पर अग्रान्य होना लिखा है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 बाडी की जमाबंदी संख्या 2023–26 प्रदर्श 3 नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4 लगान की रसीदात दिनांक 11.08.1972, 03.11.1981, दिनांक 20.05.1984 व 12.08.1990 जो प्रदर्श 5 लगाय 8 लगाये है । वादी द्वारा प्रस्तुत रसीदे 27.03.2002, 13.01.2003 व 10.01.2004 व 13.01.2006 व 11.03. 2006 पर प्रदर्श 9 से 13 लगाये है नोटिस धारा 91 के प्रदर्श 14 से 17 है वर्तमान नोटिस वादी की पत्नि के नाम 18.10.2010 है प्रदर्श 18 है खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2029 से 2036 प्रदर्श 19 व 20 है वादी के नाम खसरा परिवर्तन शील 2067 प्रदर्श 21 है । इसके साथ शपथ–पत्र में कथन किये है कि विवादिता भूमि पर उसके पिता मदनलाल का सन् 1965 से कब्जा काश्त होने से 1972 में उन्हे आवंटित की गई थी । आज तक मेरा कब्जा है मुख्य परीक्षण में भी वादी ने आवंटन दिवस से कब्जे में होना बताया है जिसके दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है ।

<u>तनकी 01</u> :– तनकी 1 को वादी ने सिद्ध करने के लिए प्रयाप्त सबूत पेश किये है । वादी ने अपने पिता के नाम आवंटन के प्रमाण स्वरूप दिनांक 15–07–1972 को आवंटन कमेटी के कार्यवाही रजिस्टर की छाया प्रति पेश की है जिसमें कम संख्या 219 पर वादी के पिता मदनलाल पुत्र राम प्रताप शर्मा को खसरा संख्या 433 रकबा 05 बीघा आवंटित किया जाना अंकित है । इस अभिलेख की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर से चाहे जाने पर वादी को नकल प्रार्थना–पत्र कमांक 397 दिनांक 07.08.2009 से सूचित किया गया है कि इस अभिलेख को नष्ट किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह तो साबित है कि इस छाया प्रति की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर से जारी हुई थी यह सूचि सेकेन्ड्री एविडेन्स में ग्राह्य योग्य पाई जाती है जिससे यह साबित है कि वादी के पिता स्व0 श्री मदनलाल वल्द राम प्रताप को विवादित भूमि विधिक रूप से अन्य काश्तकारान के साथ आवंटित की गई थी जो पट्टा फीस रू0 05 की रसीद दिनांक 11.08.1972 से साबित है तथा खसरा परिवर्तन संम्वत् 2029 में गैर खातेदार दर्ज करना पूरी तरह साबित करता है यह प्रदर्श 19 है । स्वतंत्र गवाह श्रवण वल्द सोहन जोशी रामलाल वल्द राजू गूर्जर व हगामीलाल वल्द सोहनलाल जोशी जो सभी उम्रदराज व्यक्ति है ने वादी के पिता को आवंटन किये जाने एवं आवंटन दिवस से उनका कब्जा चले आने की पुष्टि की

(10)

है । वादी बखुबी तनकी साबित करने में सफल रहा है ऐसी स्थिति में वादी वाद पत्र पर अपेक्षित अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी पाया जाता है । तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है ।

तनकी 02 :– इसका भार भी वादी पर रहा है उसके द्वारा तनकी 1 को सिद्ध कर देने से वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी पाया जाता है ।

तनकी 03 :– प्रतिवादी 2 पर इसका भार रहा है उसके प्रमाणित तथ्य के अभाव में अपने प्रतिवाद पत्र के कथन किये है जो पूर्ण जांच एवं अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार्य नहीं है उनके दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत मौखिक कथन मात्र से वाद खारिज कराने के अधिकारी नहीं तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 02 तय की जाती है ।

अनुतोष ?

बहस उभय पक्षान सुनी गई । उनके तर्क–विर्तक पर एक तथ्य तो साबित पाया गया कि वादी के पिता को अन्य काश्तकारान साथ–साथ विवादित भूमि आवंटित की गई और आवंटन पर पट्टा शुल्क रसीद संख्या 11.08.1972 से जमा करवाया गया बाद में लगान लिया जाता रहा है तथा खसरा परिवर्तनशील संम्वत् 2029 में विवादित आराजी में वादी के पिता को गैर खातेदार अंकित किया गया है जो साबित करता है कि विवादित भूमि वादी के पिता को आवंटित हुई थी तब फेराफेरी लागू नहीं था ऐसी स्थिति में वादी विवादित भूमि में खातेदार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी पाया जाता है ।

अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा वादीगण को विवादित आराजी खसरा संख्या 433 रकबा 05 बीघा वाकै ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । यथानुसार राजस्व अभिलेख में खसरा संख्या 433 में वादीगण को बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है । वाद खर्च वादी स्वयं वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2016 को कार्यालय हाजा में सर इलजास सुनाया जा रहा है ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 17:07:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: